न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बागोड़ा (जिला–जालोर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती गोमती शर्मा, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. नरसाराम पुत्र प्रभूजी 2. बगाराम पुत्र प्रभूजी 3. नाथाराम पुत्र प्रभूजी 4. श्रीमती पुनी पत्नी प्रभूजी कौम कलबी (चौधरी) साकिनान जेतू तहसील बागोड़ा जिला जालोर।		1. श्रीमती सुबटीदेवी पत्नी कलाराम 2. स्व. भूराराम पुत्र वेनाजी के कायम मुकाम :– (i) रतनाराम पुत्र भूराराम (ii) जसाराम पुत्र भूराराम (iii) केसाराम पुत्र भूराराम जातियान कलबी (चौधरी) निवासीगण जेतू तहसील बागोड़ा जिला जालोर। 3. राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, बागोड़ा। 4. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जुंजाणी तहसील भीनमाल जिला जालोर। 5. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (कृषि विस्तार शाखा), भीनमाल जिला–जालोर।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री गोरधनराम विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री वगताराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2(i),(ii),(iii)

मुकदमा संख्या :– 09/2019 दिनांक :– 24/12/2019

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नया रास्ता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम जेतू तहसील बागोड़ा में खसरा नंबर 1277 रकबा 4.76 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम स्थित है, जिसमें प्रार्थीगण अपनी–अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के लगतो–लगत उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1250 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम चाही दोयम, खसरा नंबर 1253 रकबा 0.89 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम जाव दोयम कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर स्थित है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 1251 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1252 रकबा 0.36 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम मौजा जेतू में स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी के चारों तरफ खातेदारी खेत आए हुए है। प्रार्थीगण के अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए कोई रास्ता

उप खण्ड अधिकारी
बागोड़ा, जिला जालोर

Scanned by CamScanner

राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं न ही मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण द्वारा प्रमाण स्वरूप नकल जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 एवं नवीन नक्शा कीर प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश की है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नंबर 1252 व 1251 के उत्तर दिशा की ओर जेतू से बागावास जाने वाली ग्रेवल सड़क स्थित है। उक्त सड़क से होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी–अपनी आराजी में प्रवेश करते रहे है। उक्त ग्रेवल सड़क प्रार्थीगण के खेत से अत्यंत निकटतम दूरी का रास्ता है, जो प्रार्थीगण के आवागमन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उनकी आराजी में से रास्ता देने का कई बार आग्रह किया, मगर ये आना–कानी कर रहे है तथा प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दी है कि वे किसी भी सुरत में उनकी आराजी में प्रार्थीगण को रास्ता नहीं देंगे। प्रार्थीगण के पास अपनी–अपनी आराजी में प्रवेश करने के लिए, जुताई का साधन ट्रैक्टर, ट्रोली, थ्रेशर, बेलगाड़ी, पशु–मवेशी आदि लाने ले जाने के लिए कोई मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आराजी खसरा नंबर 1250 के पश्चिमी माठ से लगतो–लगत आगे खसरा नंबर 1252 में पूर्वी माठ के लगतो–लगत नक्शा परिशिष्ट–अ में लाल स्याही से दर्शित 4 मीटर चौड़ा रास्ता दर्ज करवाना चाहते है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण को अपनी–अपनी आराजीयान में आवागमन करने से रोक रहे है तथा बार–बार मौके पर अवरोध पैदा कर झगड़ा–फसाद पर उतारू हो रहे है। इसलिए प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने ये यह प्रार्थना–पत्र पेश किया। अंत में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ में लाल रंग से दर्शित 4 मीटर चौड़ा रास्ता खसरा नंबर 1250 के पश्चिमी माठ से लगतो–लगत आगे खसरा नंबर 1252 में पूर्वी माठ के लगतो–लगत प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कृषि उपकरण सहित प्रवेश करने के लिए दिए जाने हेतु आदेशित किए जाने एवं अप्रार्थी संख्या 3 को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर तरमीम करने हेतु आदेशित किए जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को .जरिए नोटिस तलब किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 भूराराम के फौत होने पर उनके कायम मुकाम वारिसान को पत्रावली पर लिया गया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 2(i),2(ii),2(iii) के अधिवक्ता ने जवाब पेश किया, जिसको शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार बागोड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसको भी शामिल पत्रावली किया गया। मौका जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया कि प्रार्थीगण की आराजी में आने हेतु कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है व अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा निकटतम दूरी वाले रास्ते से ही अपनी आराजी में आने–जाने हेतु नजदीकी रास्ता खसरा नंबर 1252 की पूर्वी माठ के लगतो–लगत व खसरा नंबर 1250 की पश्चिमी माठ के लगतो–लगत खसरा नंबर 1277 में प्रवेश करेगा तथा उक्त रास्ते का रकबा (क्षेत्रफल) खसरा नंबर 1252 में से 240 वर्गमीटर व 1250 में से 592 वर्गमीटर होता है। इस प्रकार कुल रकबा 832 वर्गमीटर बनता है। ग्राम जेतू की तहसीलदार बागोड़ा से वर्तमान डी.एल.सी. दर मंगवाई जाकर शामिल

उप खण्ड अधिकारी
बागोड़ा, जिला जालोर

Scanned by CamScanner

पत्रावली की गई। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डी.एल.सी. दर के दुगुने हिसाब से खसरा नंबर 1252 की 18,192/– रूपये व खसरा नंबर 1250 की 44,874/– रूपये कुल 63,066/– रूपये देय है तथा प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर रखी गई है। मौका जांच रिपोर्ट के नजरी नक्शे व संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस व तर्क सुने तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व नक्शा एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया तो प्रथम दृष्टया ही प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजी में आवागमन का रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है और न ही रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए अनुतोषानुसार एवं अप्रार्थी संख्या 3 तहसीलदार बागोड़ा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नक्शे अनुसार दर्शित रास्ता प्रार्थीगण की आराजी में आने–जाने के लिए निकटमत रास्ता है। ऐसे में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नया रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थीगण अधिकारी होने से उक्त प्रार्थना–पत्र पोषनीय है अर्थात् प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र कानूनी बिन्दू अनुसार स्वीकार करने योग्य एवं न्यायोचित है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 भूमिधारी राजस्थान राज्य तहसीलदार बागोड़ा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ व अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत मौका नक्शा व रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जेतू तहसील बागोड़ा के खसरा नंबर 1252 रकबा 0.36 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 240 वर्गमीटर (पूर्वी माठ की तरफ) व खसरा नंबर 1250 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम चाही दोयम में से 592 वर्गमीटर (पश्चिमी माठ की तरफ) 04 मीटर चौड़ा सार्वजनिक रास्ता वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। प्रार्थीगण को प्रतिकर राशि के बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट राशि 18,192 रूपये + 22,437 रूपये = 40,629/– रूपये अप्रार्थी संख्या 1 सुबटीदेवी के नाम तथा अप्रार्थी संख्या 2(i) रतनाराम के नाम से 7,479/– रूपये, अप्रार्थी संख्या 2(ii) जसाराम के नाम 7,479/– रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 2(iii) केसाराम के नाम 7,479/– रूपये वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज उनके हिस्से अनुसार पृथक–पृथक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 24/12/2019 को सरे इजलास पढकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बागोड़ा जिला जालोर
बागोड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gomati Sharma
Date: 2020.01.10 16:01:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: